छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

सेक्टर 24, ऑफिस कॉम्पलेक्स, ब्लॉक नम्बर 7 ए, द्वितीय तल,
मुख्यालय, अटल नगर, नवा रायपुर
E-Mail ID - nanheadoffice@gmail.com

क्रमांक / मक्का निविदा / 2026–27 / 10 नवा रायपुर, दिनांक: 19.06.2026

/ / खरीफ विपणन वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में उपार्जित मक्का का विक्रय के लिए निविदा सूचना / /

निगम द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में उपार्जित मक्का का विक्रय हेतु राज्य सरकार के उपक्रम / संयुक्त उपक्रम तथा प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों / व्यवसायी / फर्म / प्रदायकर्ता से (जो निविदा की न्यूनतम अर्हता पूर्ण करते हो) **GeM (Government E-Marketplace) Portal** के माध्यम से दरें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **06.07.2026** सायं 05.00 बजे तक है।

TENDER SCHEDULE (GeM ID – 7635268)

Bid Start Date	19-06-2026	11:00 AM
Bid Due Date	06-07-2026	05:00 PM
Bid Open Date From	07-07-2026	11:00 AM

निविदा प्रपत्र की समस्त जानकारी जिसमें शर्तें एवं नियम उल्लेखित है, **GeM (Government E-Marketplace) Portal** एवं राज्य सरकार की वेबसाईट https://www.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है।

किसी भी निविदा को बिना कारण बताये मान्य अथवा अमान्य किये जाने का अंतिम अधिकार प्रबंध संचालक को है।

(प्रबंध संचालक महोदया द्वारा अनुमोदित)

एजीएम (उपार्जन)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

ब्लॉक 7–ए, द्वितीय तल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, सेक्टर–24, अटल नगर, नवा रायपुर

वित्तीय वर्ष 2026–27

खरीफ विपणन वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में

उपार्जित मक्का के विक्रय हेतु ई–निविदा दस्तावेज

निविदा जारी करने की तिथि :– 19.06.2026

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :– 06.07.2026

प्रतिभागी के हस्ताक्षर व सील

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

ब्लाक–7ए, द्वितीय तल, सेक्टर–24, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर
मुख्यालय–रायपुर

// मक्का विक्रय हेतु ई–निविदा //

// ई–निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न परिशिष्ट का विवरण //

ई–निविदा दस्तावेज के साथ निम्नानुसार परिशिष्ट संलग्न है, जिनके प्रत्येक पृष्ठ पर प्रतिभागी द्वारा हस्ताक्षर कर अपनी सील अंकित की जावेगी एवं समस्त परिशिष्ट निविदा दस्तावेज के अभिन्न अंग माने जावें।

परिशिष्ट – 01	इस परिशिष्ट पर मक्का विक्रय निविदा संबंधी प्रक्रिया, निविदा हेतु परिभाषाएं, निविदा के नियम एवं शर्तें दर्शित है।
परिशिष्ट – 02	इस परिशिष्ट पर जिले का नाम व प्रदाय केन्द्र/गोदाम का विवरण, जहां मक्का भण्डारित है, की गोदामवार जमा मात्रा की जानकारी दी गई है।
परिशिष्ट – 03	इस परिशिष्ट पर प्रतिभागी का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण चाहा गया है।
परिशिष्ट – 04	मक्का विक्रय हेतु प्रस्तुत दर प्रति मे.टन का विवरण (प्राइज बीड)
परिशिष्ट – 05	निविदा के साथ जमा अमानत राशि का विवरण पत्रक
परिशिष्ट – 06	इस परिशिष्ट पर मक्का विक्रय संबंधी अनुबंध पत्रक का प्रारूप है जो कि सफल प्रतिभागी द्वारा प्रत्येक जिला/ प्रदाय केन्द्र हेतु रूपये 100/–के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित किया जावेगा।
परिशिष्ट – 07	तकनीकी बीड संबंधी घोषणा पत्र (100/–के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)
परिशिष्ट – 08	फाईनेशियल बीड संबंधी घोषणा पत्र (100/–के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)
परिशिष्ट – 09	अनिवार्य दस्तावेज/शपथ पत्र की चेक लिस्ट
परिशिष्ट – 10	सत्य निष्ठा संबंधी घोषणा पत्र
परिशिष्ट – 11	ई–निविदा संबंधी निर्देशिका

समस्त प्रतिभागी से अनुरोध है कि वे उक्त परिशिष्ट का गहन अध्ययन करने के उपरांत ही अपनी दरें आनलाईन प्रस्तुत करें ताकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा विधिवत रूप से सही–सही प्रस्तुत हो सके।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
रायपुर (छ0ग0)

प्रतिभागी के हस्ताक्षर व सील

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

ब्लाक–7ए, द्वितीय तल, सेक्टर–24, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर
मुख्यालय–रायपुर

मक्का विक्रय हेतु ई–निविदा वर्ष 2026–27

1. प्रतिभागी का नाम एवं पूर्ण पता :– .....
2. मोबाइल नं. :– .....
3. ई–मेल आईडी :– .....

छत्तीसगढ राज्य के छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के **03 जिलों** के संग्रहण केन्द्रों में खरीफ विपणन वर्ष 2022 –23 एवं 2023–24 में उपार्जित **44.95 मे.टन** मक्का भण्डारित है जिसका विक्रय ई–निविदा द्वारा किए जाने हेतु **प्रतिष्ठित प्रतिभागी/संस्थानों** से ऑनलाईन निविदा दरें आमंत्रित की जाती है।

Tender Schedule

Seq.No.	NAN	Start	
		Date	Time
1	Bid Starting Date	19.06.2026	11:00 Am
2	Bid Due Date	06.07.2026	5:00 Pm
3	Bid Open Date From	07.07.2026	11.00 Am

टिप्पणी :–

1. ई–निविदा के लिये निर्धारित तारीख को यदि अवकाश घोषित किया जाता है, तो अवकाश के पश्चात् अगले कार्यकारी दिवस को निविदा की जायेगी लेकिन निविदा चालू होने के उपरांत समय में परिवर्तन नहीं होगा।
2. यह निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है।
3. ई– निविदा हेतु प्रतिभागी द्वारा **दिनांक 19.06.2026** को प्रातः 11.00 बजे से ऑनलाईन पंजीयन किया जा सकता है एवं **दिनांक 06.07.2026** अपरान्ह समय 5.00 बजे तक तकनीकी दस्तावेज जमा किया जाना अनिवार्य है। प्रतिभागी को यह सुझाव दिया जाता है कि प्रतिभागी द्वारा तकनीकी दस्तावेज जमा करने की ऑनलाईन निर्देश एवं प्रकिया का विधिवत् अध्ययन कर ले, एवं अंतिम समय पर इंतजार किये बिना नियत अंतिम समय के पूर्व निर्धारित प्रकिया पूर्ण कर ऑनलाईन में प्रतिभागी द्वारा तकनीकी दस्तावेज जमा किया जावे, ताकि अंतिम समय में सॉफ्टवेयर/कनेक्टीविटी आदि में तकनीकी समस्या होने पर दस्तावेज जमा करने में कठिनाई न हो । अंतिम समय में सॉफ्टवेयर /कनेक्टीविटी आदि में तकनीकी समस्या आने के कारण ऑनलाईन दस्तावेज जमा नहीं हो पाने पर निर्धारित समय–सीमा में वृद्धि करने हेतु कोई दावा आपत्ति अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा और न ही मैन्यूवल स्वीकार की जावेगी।
4. प्रतिभागी द्वारा निविदा दस्तावेज की प्रति Online ही प्रस्तुत की जावेगी एवं इसके हर पृष्ठ पर प्रतिभागी के हस्ताक्षर एवं सील होना अनिवार्य है।
5. निविदा प्रपत्र GeM (GovernMent E-Marketplace) Portal पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र GeM (Government E-Marketplace) Portal से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना होगा।
6. निविदा दस्तावेजों को निविदाकार द्वारा GeM (Government E-Marketplace) Portal में प्रस्तुत किया जाना है।

प्रतिभागी के हस्ताक्षर व सील

7. प्रमाणित किया जाता है कि यह निविदा फार्म में पृष्ठ **01** से **25** तक समाहित है। उपरोक्त समस्त निर्देश भी निविदा प्रकिया का भाग होगा।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
रायपुर (छ0ग0)

प्रतिभागी के हस्ताक्षर व सील

//उद्बोधन//

प्रिय निविदाकार,

1. छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के लिए तथा उसकी ओर से प्रबंध संचालक द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में उपार्जित किये गये कुल **44.95 मे.टन** मक्के जो प्रदेश के **03 जिलों** (दुर्ग, बालोद, दंतेवाड़ा) के विभिन्न गोदामों में भण्डारित है को विक्रय हेतु ई–निविदा के माध्यम से दरें आमंत्रित की जाती है।
2. उल्लेखनीय है कि यह कार्पोरेशन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध होकर छत्तीसगढ़ शासन के उपक्रम के रूप में वर्ष 2001 से कार्यरत है। कार्पोरेशन द्वारा मुख्यतः जन उपयोगी कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें खाद्यान्न/चना/नमक/शक्कर/दलहन/बारदाना/मक्का आदि की खरीदी/वितरण/विक्रय सम्मिलित है।
3. इस निविदा दस्तावेज में संलग्न परिशिष्ट में निविदा के निर्देश और मार्गदर्शक सूचनायें, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्तें, तथा छत्तीसगढ़ स्थित प्रदाय केन्द्रों, जहां मक्का का भंडारण किया गया है, **जहां है, जैसा है, के हालत में विक्रय किया जाना है**, जिसका विवरण परिशिष्ट 02 में दिया गया है।
4. प्रतिभागी से अनुरोध है कि कृपया कार्पोरेशन द्वारा जारी निविदा आमंत्रण सूचना व इन दस्तावेजों को भलीभांति पढ़ने और समझने के बाद ही अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्रस्तुत करें।
5. प्रतिभागी से यह भी अनुरोध है, कि निविदा फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर इसके लिए नियत स्थान पर सील सहित हस्ताक्षर करें। निविदा सूचना के प्रकाशन अनुसार भरे हुए निविदा निर्धारित समय तक ही आनलाईन स्वीकार किए जायेंगे।
6. इस उद्बोधन सहित, निविदा आमंत्रण, निविदा निर्देश व मार्ग दर्शक सूचनायें, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्तें, निविदा दस्तावेज एवं उनमें संलग्न सभी पृष्ठ एवं परिशिष्ट आदि इस मक्का विक्रय संविदा के अभिन्न अंग हैं और प्रतिभागी इनसे आबद्ध रहने के लिए बाध्य होगा।

मक्का निविदा हेतु निम्न बिन्दु विशेष ध्यान देने योग्य हैं–

(अ) निविदा में उपयुक्त दरें प्राप्त न होने पर क्रमशः उच्चतम दरदाता से नियमानुसार निगोशियेशन किया जा सकता है । इस संबंध में अंतिम निर्णय प्रबंध संचालक का मान्य होगा।

(ब) प्रतिभागी निविदा फार्म के साथ में वांछित दस्तावेज यथा अमानत राशि (RTGS/Transfer Receipt) आयकर विवरणी, पेनकार्ड, फर्म/कंपनी का पंजीयन (स्वामित्व/प्रोपराइटर शीप प्रतिभागी को पंजीयन की आवश्यकता नही है।), तकनीकी बीड/फाईनेसियल बीड घोषणा पत्र, अमानत राशि का विवरण पत्रक आदि एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी ।

(स) प्रतिभागी को इस निविदा के साथ संलग्न प्रतिभागी का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण को पूर्ण रूपेण फोटो संलग्न करते हुए भरा जाना अनिवार्य है। कृपया इसका विशेष ध्यान रखें। प्रत्येक विवरण अपेक्षित तथ्यों के साथ पूर्ण भरा जाना है।

उक्तानुसार आपसे अनुरोध है, कि संबंधित परिशिष्ट एवं दस्तावेजों का भलीभांति अध्ययन कर कार्पोरेशन के वृहद, जन उपयोगी और व्यवसायिक कार्यों में सहभागिता के दृष्टिकोण से अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्रस्तुत करें।

शुभकामनाओं सहित।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
रायपुर (छ0ग0)

प्रतिभागी के हस्ताक्षर व सील

परिशिष्ट – 01

// मक्का विक्रय की निविदा संबंधी प्रक्रिया,/निविदा हेतु परिभाषाएं, निविदा के नियम एवं शर्तें //

1. निविदा में अभिप्रेरित परिभाषाएँ :–

1.1 **"मक्का"** से तात्पर्य यह है कि खरीफ विपणन वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में उपार्जित मक्का **जहां है, जैसा है,** कि स्थिति।

1.2 **'निविदा दस्तावेज"** से तात्पर्य यह है कि मक्का विक्रय ई–निविदा हेतु जारी की गई प्रोफार्मा को प्रतिभागी द्वारा विधिवत भरा गया दस्तावेज।

1.3 **"संविदा"** से तात्पर्य यह है कि मक्का विक्रय हेतु कार्पोरेशन व क्रेता प्रदायकर्ता के मध्य करार, जिसमें निविदा में उल्लेखित निर्देश, निविदा संबंधी दस्तावेज, अनुबंध एवं शेड्यूल के अंतर्गत स्वीकार करना एवं निविदा से संबंधित सामान्य एवं सभी शर्तें सम्मिलित है।

1.4 **"कार्पोरेशन/निगम"** शब्द से तात्पर्य यह है कि छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर से अभिप्रेत है कि कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन स्थापित छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड है।

1.5 **"प्रबंध संचालक"** से तात्पर्य यह है कि छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर के प्रबंध संचालक । जिसके प्रशासनिक क्षेत्रान्तर्गत मक्का विक्रय की संविदा संबंधित है का निष्पादन किया जाना है इसमें प्रबंध संचालक द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी भी सम्मिलित रहेंगे।

1.6 **"प्रतिभागी"** शब्द से तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, समिति, संस्था या प्रतिष्ठान जिसने इस निविदा में भाग लिया है या निविदा प्राप्त किया है। इस तात्पर्य के अंतर्गत व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, संस्था की ओर से विधिवत अधिकृत व्यक्ति भी मान्य होंगे।

1.7 **"सफल प्रतिभागी"** शब्द से तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, समिति, संस्था या प्रतिष्ठान जिसकी दरे स्वीकृत हुई है। इस तात्पर्य के अंतर्गत व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, संस्था की ओर से विधिवत अधिकृत व्यक्ति भी मान्य होंगे।

1.8 **"दर "** से तात्पर्य यह है कि दर प्रतिभागी द्वारा मक्का खरीदी के लिए E-nividaके माध्यम से निर्धारित कॉलम मे ऑनलाईन भरी गई राशि भारतीय मुद्रा रूपये (INR) मे दर्ज की जावे, जिसे प्रबंध संचालक या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जावेगा।

1.9 **"संग्रहण केन्द्र/गोदाम"** का तात्पर्य यह कि कार्पोरेशन के जिला कार्यालय अन्तर्गत संचालित छ.ग. स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन/सीडब्ल्यूसी/मंडी/कार्पोरेशन द्वारा लिया गया गोदाम जहां पर मक्का का भण्डारण किया गया है।

2. निविदा के नियम एवं शर्तें

2.1 कार्पोरेशन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में 03 जिले में उपार्जित **44.95 मे. टन** का विक्रय किया जाना हैं जो कार्पोरेशन के विभिन्न प्रदाय केन्द्रों में उपलब्ध हैं। निविदा दस्तावेज में दिये गये मात्रा से प्रदाय केन्द्रों में संग्रहित मक्के की मात्रा कम या अधिक हो सकती है। जिसे प्रतिभागी मानने के लिए बाध्य होगा।

2.2 इच्छुक क्रेताओं से उनके लेटरहेड (जिसमें प्रतिभागी का नाम, फर्म/कंपनी का नाम व पता, टेलीफोन नं./मोबाइल नं., पेन कार्ड आदि परिशिष्ट – 01 की कंडिका 3.5 के अनुसार) संलग्न कर मक्का क्रय हेतु जिले के नाम सहित टेक्नीकल बीड लिखकर आनॅलाईन प्रस्तुत करना होगा।

2.3 **प्रतिभागी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाले वांछित दस्तावेज को स्वयं हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।**

प्रतिभागी के हस्ताक्षर व सील

2.4 मक्का का विक्रय **"जहां है, जैसा है"** के आधार पर किया जावेगा।

2.5 मक्का क्रय हेतु प्रस्तुत आफर के साथ अमानत राशि 10,000/– RTGS Transfer के माध्यम से **"छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड" रायपुर** के पक्ष में प्रतिभागी स्वयं/फर्म/कंपनी के बैंक खाते से निगम के **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कामॅर्शियल ब्रांच, पुजारी पार्क, पंचपेड़ी नाका, रायपुर के खाता कमांक** 10822706427 **आई.एफ.एस.कोड एसबीआई एन 0008536) में जमा करना अनिवार्य** होगा। बिना अमानत राशि के प्राप्त आफर अमान्य कर दिये जायेंगे। **दरें स्वीकृत होने पर एक सप्ताह में अनुबंध निष्पादन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा के साथ जमा अमानत राशि निगम के पक्ष में राजसात कर ली जायेगी।**

2.6 **प्रतिभागी अपनी दरें प्रति मे.टन में प्रस्तुत करेगा।**

2.7 क्रय/विक्रय हेतु निर्धारित लायसेंस अनुज्ञा इत्यादि लेने की जिम्मेदारी प्रतिभागी की रहेगी।

2.8 मक्का क्रय करने के पूर्व क्रेता संग्रहित स्थलों पर स्वयं के खर्चे पर मक्का का निरीक्षण कर सकते हैं।

2.9 अनुबंध दिनांक से 30 दिन की अवधि में संपूर्ण मात्रा का उठाव करना अनिवार्य होगा।

2.10 जिले के केन्द्र की पूरी मात्रा के लिए दरें प्रस्तुत होना चाहिये। डिलीव्हरी के दौरान यदि अतिरिक्त बारदाना लगता हो तो रू. **55/–प्रतिनग** की दर से राशि जमा करना होगा। (अतिरिक्त बारदाना 1 भरती का होगा)

2.11 मक्का परिदान के दौरान निगम के द्वारा कोई भी हम्माली एवं परिवहन खर्च वहन नहीं किया जायेगा। अतः क्रेता को स्वयं के व्यय पर अनुबंधित मात्रा का उठाव करना अनिवार्य होगा।

2.12 अनुबंध में दर्शित समय–सीमा के भीतर मक्का का उठाव नहीं करने पर जमा राशि निगम के पक्ष में राजसात कर ली जावेगी।

2.13 प्राप्त उच्चतम दर के आधार पर मक्का का विक्रय किया जावेगा। **अतः सफल प्रतिभागी को स्वीकृति आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर स्वीकृत मात्रा के लिए मक्का उठाव हेतु अनुबंध निष्पादित करना होगा एवं अनुबंध दिनांक से 30 दिवस की अवधि में अनुबंधित मात्रा का उठाव करना अनिवार्य होगा।**

2.14 सफल प्रतिभागी द्वारा अनुबंध में उल्लेखित समयावधि में अनुबंधित मात्रा का पूर्ण उठाव करना अनिवार्य होगा। नियत समयावधि में अनुबंधित मात्रा का उठाव नहीं कर पाने की स्थिति में शेष बची मात्रा का उठाव करने के लिए प्रतिभागी/क्रेता को एसडब्ल्यूसी/सीडब्ल्यूसी की निर्धारित दर से भंडारण शुल्क एंव ब्याज की राशि जमा करने पर कार्पोरेशन द्वारा अधिकतम 15 दिवस का अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा।

2.15 अतिरिक्त समय–सीमा में भी अनुबंधित मात्रा का पूर्ण उठाव नहीं कर पाने की स्थिति में प्रतिभागी/क्रेता को वास्तविक कारण सहित आवेदन–पत्र जिला प्रबंधक के माध्यम से स्पष्ट अभिमत के साथ कार्पोरेशन के मुख्यालय में प्रस्तुत करना होगा। कार्पोरेशन द्वारा समस्त परिस्थितियों पर विचारोपरांत अतिरिक्त समय–सीमा में वृद्धि के लिए निर्णय लिया जावेगा। द्वितीय बार समयावधि में अधिकतम एक सप्ताह की वृद्धि की जावेगी।इस अवधि में क्रेता को शेष बची मात्रा पर भंडारण शुल्क की राशि जमा करने के साथ–साथ निविदा की स्वीकृत दर से गणना कर विक्रय राशि पर कार्पोरेशन की प्रचलित दर से ब्याज की राशि भी जमा करना अनिवार्य होगा।

2.16 मक्का विक्रय हेतु स्थानीय कर/अन्य समस्त प्रकार के कर लागू होता हो, तो वह अतिरिक्त होगा एवं क्रेता के द्वारा वहन किया जायेगा।

2.17 निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अंतिम निर्णय प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

2.18 सभी प्रकार के विवादों का न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर (छ.ग.) होगा ।

प्रतिभागी के हस्ताक्षर व सील

3. अमानत राशि जमा करने के संबंध में :–

3.1 प्रतिभागी/क्रेता को निविदा में भाग लेते समय क्रय किये जाने वाली मात्रा पर अमानत राशि 10,000/– जमा करना अनिवार्य है। निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले अन्य दस्तावेजों के साथ अर्नेस्ट मनी (अमानत राशि) प्रतिभागी/क्रेता स्वयं/फर्म/कंपनी के बैंक खाते से **"छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड" रायपुर** के पक्ष में प्रतिभागी स्वयं/फर्म/कंपनी के बैंक खाते से निगम के **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल ब्रांच, पुजारी पार्क, पंचपेड़ी नाका, रायपुर के खाता कमांक 10822706427 आई.एफ.एस.कोड एसबीआई एन 0008536) में जमा करना अनिवार्य होगा।** बगैर अमानत राशि के अथवा निर्धारित राशि से कम राशि होने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

3.2 प्रतिभागी/क्रेता द्वारा निविदा फार्म के साथ स्वयं/फर्म/कंपनी के बैंक खाते से निगम के दर्शित खाते में RTGS/Online transfer के माध्यम से जमा की गई राशि के प्रमाणस्वरूप बैंक स्लिप की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3.3 निविदा में प्रस्तुत दर स्वीकृत होने की दशा में निविदा स्वीकृति दिनांक से अधिकतम 07 दिवस के अंदर प्रतिभागी को निविदा में भरी गई दरों अनुसार सम्पूर्ण मात्रा हेतु कार्पोरेशन के साथ अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा। **प्रतिभागी द्वारा निविदा के समय प्रस्तुत अमानत राशि को अंतिम उठाव के समय समायोजित की जावेगी।**

3.4 प्रतिभागी द्वारा कार्पोरेशन में जमा की गई अमानत राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

3.5 **टेक्नीकल बीड के साथ अनिवार्यतः संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज/सहपत्रः–**

प्रतिभागी को टेक्नीकल बीड के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की छायाप्रति स्वंय हस्ताक्षर करने के साथ ही नोटरी से सत्यापित करा कर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसमें से किसी भी दस्तावेज के अभाव में निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।

1. निर्धारित अमानत राशि R.T.G.S, /ट्रांसफर के माध्यम से ऑन लाईन जमा कराने के प्रमाण के रूप में बैंक की जमा रसीद स्केन कर अपलोड करना होगा। **(UTR नम्बर सहित)**
2. वित्तीय वर्ष **2023–24, 2024–25 एवं 2025–26** की आयकर विवरणी।
3. पेनकार्ड की सत्यापित प्रति।
4. यदि प्रतिभागी कोई फर्म हो तो, फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र। भागीदारी फर्म होने की स्थिति में भागीदारी विलेख, कंपनी होने पर मेमोरेण्डम ऑफ एसोसियेशन एण्ड आर्टिकल्स (प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि)। (स्वामित्व/प्रोपराइटर शीप प्रतिभागी को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है।)
5. प्रतिभागी फर्म अथवा कंपनी होने की स्थिति में, फर्म/कंपनी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/मुख्त्यारनामा (नोटरी द्वारा सत्यापित)।
6. निविदा दस्तावेज की प्रति जिसके समस्त पृष्ठों पर प्रतिभागी के स्व–प्रमाणित हस्ताक्षर एवं सील सहित ।
7. तकनीकी बीड संबंधी घोषणा पत्र **(नोटरी से प्रमाणित) परिशिष्ट–7**
8. फाईनेशियल बीड संबंधी घोषणा पत्र **(नोटरी से प्रमाणित)परिशिष्ट–8**
9. अमानत राशि का विवरण–पत्रक **परिशिष्ट–2 में** उल्लेखित मात्रा के विरूद्ध निर्धारित अमानत राशि का पूर्ण विवरण भरकर प्रस्तुत करना होगा।

04. निविदा में हस्ताक्षर :–

निविदा प्रपत्र में प्रतिभागी द्वारा हस्ताक्षर करने के उपरांत उसका पूरा नाम, पूरा पता एवं किस हैसियत से, जैसा कि स्वामी, भागीदार, कंपनी सचिव, प्रबंध संचालक, मुख्तयार या संचालक के रूप में हस्ताक्षर किया, उसका उल्लेख करना अनिवार्य है। प्रतिभागी की ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा अगर निविदा प्रस्तुत की जाती है, तो इस संबंध में पावर ऑफ एटार्नी दस्तावेज

प्रतिभागी के हस्ताक्षर व सील

प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पावर ऑफ एटार्नी के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर कंपनी/समिति, द्वारा पावर ऑफ एटार्नी जारी किया जाता है, तो पावर ऑफ एटार्नी पर सभी भागीदारों के नाम सहित फर्म/कंपनी/समिति प्रमुख के हस्ताक्षर मय सील होना अनिवार्य है। भागीदारी फर्म होने की दशा में भागीदार के नाम, पता, फोटो, पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति सहित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदा दस्तावेज ऑनलाईन मूल प्रति से स्केन कराकर ही प्रस्तुत किया जावेगा एवं इसके हर पृष्ठ पर प्रतिभागी के सील सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

05. ई–निविदा दर प्रस्तुत करने के संबंध में :–

5.1 ई–निविदा में प्रतिभागी द्वारा निविदा दस्तावेजों में चाही गई समस्त तकनीकी दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात् निगम द्वारा गठित कमेटी द्वारा उक्त प्रस्तुत समस्त दस्तावेज को परीक्षण के उपरांत समस्त दस्तावेज सही पाये जाने की दशा में ई–निविदा में दरें प्रस्तुत करने के लिए मान्य किया जावेगा।

5.2 प्रतिभागी निर्धारित ई–निविदा दस्तावेज में संलग्न परिशिष्ट 02 जिसमें जिलो के प्रदाय केन्द्रों में जमा मात्रा की जानकारी दी गई है कि पूर्ण मात्रा का निविदा दर देना अनिवार्य होगा। उक्त स्थानों के लिए मक्का क्रय करने हेतु प्रति मे.टन दर ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना होगा।

5.3 फैक्स, कोरियर अथवा किसी प्रकार के डाक के माध्यम से निविदा में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की दरे विचार योग्य नहीं होगी। निविदा दरें केवल ऑनलाईन ही प्रस्तुत करें।

5.4 ई–निविदा प्रपत्र में प्रतिभागी अपना पूर्ण हस्ताक्षर करें। प्रतिभागी को मक्का उठाने हेतु राज्य शासन के आवश्यक परमिट इत्यादि की व्यवस्था स्वयं करना होगा तथा इसमें विभाग/संस्था किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेगा, और न ही किसी प्रकार के कर भुगतान या अन्य भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

5.5 प्रस्तुत किये जाने वाले वांछित दस्तावेज को प्रतिभागी द्वारा स्वयं हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

5.6 प्रतिभागी का यह दायित्व होगा कि वे निविदा में भाग लेने से पूर्व छत्तीसगढ़ स्थित प्रदाय केन्द्रों, सड़क/रेल मार्ग का भली–भांति अवलोकन/परीक्षण करें। दरें भरने से पूर्व सभी पहलुओं पर अपनी संतुष्टि कर लेवें। निविदा भरने या खुलने के उपरांत इसमें किसी प्रकार का स्पष्टीकरण, मार्गदर्शन, विवाद मान्य नहीं होगा।

5.7 ऐसे प्रतिभागी जिनकी टेक्नीकल बीड क्वालीफाई नहीं की गई है, उन्हें उक्त फर्म को निविदा में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।

5.8 मक्का का विक्रय शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित नीति निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। शासन की नीति अथवा आदेश होने पर निविदा स्वीकृति के बाद भी विक्रय रोका जा सकता है। इससे अगर प्रतिभागी/अनुबंधित क्रयकर्ता को कोई हानि होती है तो इसकी जवाबदारी कार्पोरेशन की नहीं होगी।

5.9 संविदा अवधि में किसी भी कारण से जैसे – बाजार मूल्य, उतार–चढाव होने पर अथवा राज्य शासन द्वारा किसी प्रकार का टैक्स लगाये जाने से अथवा छूट देने से भरी गयी दरें प्रभावित होती है तो उस स्थिति में क्रयकर्ता को कोई भी लाभ नहीं दिया जावेगा।

5.9 ई–निविदा पश्चात् सफल दर–दाताओं (प्रतिभागियों) से प्राप्त दरें में निगोसिएशन किया जावेगा।

06. ई–निविदा स्वीकार करने प्रकिया :–

6.1 छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड को प्रस्तुत की गई निविदा को बिना किसी कारण के मान्य/अमान्य/पूर्ण अथवा आंशिक रूप से मान्य करने का पूर्ण अधिकार कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित है।

6.2 ऑनलाईन प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति निविदा की दरें स्वीकृत होने के पश्चात अनुबंध के साथ जमा किया जाना अनिवार्य है।

7. अनुबंधः–

7.1 प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत निविदा दरें निविदा खुलने की दिनांक से 120 दिन तक वैध रहेगी जिसे मानने हेतु प्रतिभागी बाध्य रहेगा ।

7.2 निर्धारित अवधि में अनुबंध निष्पादित नहीं करने की स्थिति में निविदा फार्म के साथ जमा अमानत की राशि यथास्थिति अनुसार कार्पोरेशन के हित में राजसात कर प्रतिभागी का नाम आगामी तीन वर्षो के लिए काली सूची में दर्ज कर दी जावेगी।

7.3 **संविदा के पक्षकार मक्का क्रयकर्ता प्रतिष्ठान एवं प्रबंध संचालक की ओर से मनोनीत अधिकारी, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड होंगे।**

8. ई–निविदा में संशोधन, क्लेरिफिकेशन व परिमार्जनः–

8.1 कार्पोरेशन निविदा की शर्तो में निविदा करने हेतु नियत तिथि से 05 दिवस पूर्व तक संशोधन, क्लेरिफिकेशन व परिमार्जन कर सकता है। ऐसे सभी संशोधन, क्लेरिफिकेशन व परिमार्जन निविदा दस्तावेज के अभिन्न अंग माने जायेगें।

8.2 सभी संशोधन, क्लेरिफिकेशन व परिमार्जन आदि वेबसाइट GeM (Government E-Marketplace) Portal पर ही प्रदर्शित किए जावेगें।

8.3 सभी प्रतिभागियों से अपेक्षा हैं कि वे समय–समय पर वेबसाइट GeM (Government E-Marketplace) Portal पर कार्पोरेशन द्वारा किए गए संशोधन, क्लेरिफिकेशन व परिमार्जन आदि को भी देखते रहे। प्रतिभागी को उक्तानुसार संशोधनों आदि के कारण किसी भी प्रकार की त्रुटि, भ्रांति/शंका व वेबसाइट अपडेट रूप से न देखने के कारण असफलता/हानि या किसी प्रकार की क्षति होती हैं, तो कार्पोरेशन का उत्तरदायित्व नहीं होगा।

9. विवादों का निराकरणः–

9.1 इस निविदा प्रपत्र में उल्लेखित समस्त कंडिकाओं और परिशिष्टों के अभिप्राय (इंटरप्रिटेशन),व्याख्या और स्पष्टता के विषय में किसी भी प्रकार से उत्पन्न विवाद का अंतिम निर्णय कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक द्वारा किया जावेगा। जो दोनों पक्षों (निगम एंव प्रतिभागी) को मान्य होगा।

9.2 उभय पक्षों के मध्य इस निविदा तथा अनुबंध के सबंध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने के 60 दिवस के भीतर प्रबंध संचालक, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड को निराकरण हेतु प्रस्तुत किये जायेगें जिसका निराकरण प्रस्तुती दिनांक से 30 दिवस के भीतर किया जावेगा। उक्त 30 दिन की समय–सीमा उभय पक्षों के द्वारा आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकती हैं । यदि कोई पक्ष प्रबंध संचालक द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट हो या प्रबंध संचालक के द्वारा उक्त विवाद के निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम 1983 के अन्तर्गत गठित छत्तीसगढ़ मध्यस्थम अधिकरण रायपुर में निर्णय हेतु प्रस्तुत कर सकता है जिसका निराकरण छत्तीसगढ़ मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम 1983 के तहत होगा, जो अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

9.3 मध्यस्थ द्वारा पारित अवार्ड में देय राशि या उसके किसी भी भाग पर अवार्ड दिनांक से पूर्व कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

परिशिष्ट – 02

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

ब्लाक–7ए, द्वितीय तल, सेक्टर–24, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर
मुख्यालय–रायपुर

// मक्का विक्रय हेतु ई–निविदा //

छत्तीसगढ राज्य के छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के निम्नलिखित **03 जिलों** के संग्रहण केन्द्रों में खरीफ विपणन वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में उपार्जित **44.95 मे.टन** मक्का भण्डारित है, जिलेवार संग्रहण केन्द्रों में भण्डारित/उपलब्ध मक्के की मात्रा निम्नानुसार है :–

(मात्रा टन में)

क्र	जिले का नाम	प्रदाय केन्द्र का नाम (जहॉ मक्का उपलब्ध है)	प्रदायकेन्द्रवार उपलब्ध मात्रा (मे.टन में)
1	दुर्ग	हथखोज	**20.80**
2	बालोद	चिटौद	**11.75**
3	दंतेवाड़ा	गीदम	**12.40**
महायोग			**44.95**

उपरोक्त दर्शित मात्रा में कमी/अधिक हो सकती है। जिससे मानने के लिए प्रतिभागी बाध्य होगा।

प्रतिभागी के हस्ताक्षर व सील

परिशिष्ट – 03

// प्रतिभागी का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण //

प्रतिभागी की स्वप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो

प्रेषक,

..... (मक्का क्रयकर्ता का नाम)
..... (एवं पूर्ण पता)
.....(ई–मेल आई.डी. एवं मोबाईल नम्बर)

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
रायपुर (छत्तीसगढ़)

प्रिय महोदय,

छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्थित विभिन्न जिलों के/गोदामों में मक्का विक्रय हेतु प्रकाशित ई–निविदा सूचना को पढ़कर हमने यह निविदा फार्म वेबसाईड में अपलोड़ किया। हमने/मैंने निविदा के आमंत्रण में दिए गए निर्देशों/निविदा/संविदा शर्तों, नियमों तथा इसके परिशिष्ट में दिए गए विवरण को भली भांति पढ़ लिया है, उनको समझ लिया तथा हम/ मैंने उनके पालन के लिए सहमत हैं/हूँ।

2. हम/मैंने मक्का छत्तीसगढ़ राज्य स्थित विभिन्न जिलों के प्रदाय केन्द्रों पर **जहां है, जैसा है, के आधार पर** क्रय करने हेतु प्रकाशित ई–निविदा के तारतम्य में यह निविदा प्रस्तुत कर रहे है। हमारा / मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार है –

(01) प्रतिभागी का नाम पता .....

(02) दूरभाष/मोबाइल नं. क्रमांक कार्यालय .....
इण्डस्ट्रीज/ईमेल आईडी .....

(03) प्रतिभागी की फर्म का स्वरूप (फर्म/ .....
कंपनी/स्वामित्व/हिन्दू अविभाजित परिवार)

(04) मुखिया (कर्ता) का नाम व पता .....

(05) यदि भागीदारी फर्म है तो समस्त भागीदारी के.....
नाम/पते (भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रति.....
संलग्न करें)

(06) फर्म की स्थापना, पंजीयन क्रमांक एवं .....
दिनांक (सत्यप्रतिलिपि संलग्न करें) .....

(07) पंजीयन क्रमांक एवं .....
दिनांक (सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें) .....

(08) पेनकार्ड की सत्यापित प्रति .....
संलग्न करें। .....

(09) बैंकर का नाम शाखा सहित (IFSC कोड सहित
खाता क्रमांक का विवरण देवें) .....

(10) जीएसटी पंजीयन की सत्यापित छायाप्रति .....

प्रतिभागी के हस्ताक्षर व सील

(11) प्रतिभागी स्वयं/फर्म/कंपनी के बैंक खाते से.....

जमा की गई अमानत राशि का विवरण

रू. .....

बैंक RTGS/ ट्रांसफर रसीद न. .....

बैंक का नाम .....

.....

दिनांक .....

(12) इस दस्तावेज के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

(13) हमारी/मेरी निविदा फार्म में उल्लेखित की गई दरें निविदा खुलने की तारीख से 120 दिन तक वैध रहेंगी, जिसे मानने के लिए हम/मैं बाध्य रहेंगे/रहूंगा/रहूंगी

(14) यदि निगम द्वारा हमें/मुझे मक्का क्रय की दर स्वीकृत की जाती है, तो हम/मैं निर्धारित अवधि में नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करके अनुबंध/उठाव करने के लिए सहमत है/हूँ।

(15) हम/मैं इसके द्वारा घोषित करते हैं/ करता हूँ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्ट में की गई प्रविष्टियॉं मेरे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही है।

नोट : **इसमें अपेक्षित विवरण स्पष्ट रूप से भरे एवं संपूर्ण कालम में वांछित जानकारी का उल्लेख करना अनिवार्य है। अन्यथा अपेक्षित विवरण के अभाव में निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।**

दिनांक .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

फर्म का नाम .....

पूरा पता .....

हैसियत .....

मुहर

प्रतिभागी के हस्ताक्षर व सील

परिशिष्ट – 04

प्राईज बीड

वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में ई–निविदा के माध्यम से उपलब्ध मक्का को क्रय करने के लिए प्रस्तुत दरों का विवरण

क्र	खाद्यान्न	उपलब्ध मात्रा (मे.टन में)	दर रू. (प्रतिटन)	
			(अंको में) INR	(शब्दो में) INR
1	मक्का	44.95		
योग		44.95		

उपरोक्तानुसार दर्शित उल्लेखित मात्रा के लिए दरें प्रति मे.टन के अनुसार मेरे/हमारे द्वारा आनॅलाईन प्रस्तुत की गई है।

नोटः– जिले के प्रदाय केन्द्रों में दर्शित मात्रा कम/अधिक हो सकती है।

प्रतिभागी के हस्ताक्षर व सील :–.....

प्रतिभागी का नाम व पताः–.....

मोबाइल नं.:–.....

ई मेल आईडीः– .....

प्रतिभागी के हस्ताक्षर व सील

परिशिष्ट – 05

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

ब्लाक –7, द्वितीय तल, सेक्टर–24, आफिस कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, रायपुर
मुख्यालय –रायपुर

//वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 हेतु ई–निविदा के साथ जमा अमानत (ईएमडी) राशि का विवरण पत्रक//

(मात्रा टन में)

क्र	खाद्यान्न	उपलब्ध मात्रा (मे.टन में)	निर्धारित अमानत राशि	जमा की अमानत राशि
1	मक्का	44.95		
योग		44.95		

उपरोक्तानुसार ..... मे.टन मक्का क्रय हेतु मेरे/हमारे द्वारा जमा की गई अमानत राशि .....
..... R.T.G.S/Transfer क्रमांक .....दिनांक ..... बैक का नाम .....
.....जमा कर ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत की गई है।

प्रतिभागी के हस्ताक्षर व सील :–.....

प्रतिभागी का नाम व पता:–.....

मोबाइल नं.:–.....

ई – मेल आईडी:–.....

प्रतिभागी के हस्ताक्षर व सील

परिशिष्ट – 06

(रूपये 100 का नानज्यूडिशियल पेपर)

//मक्का विक्रय अनुबंध//

प्रतिभागी की स्वप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो

आज दिनांक ..... दिन ..... को छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय, रायपुर के तरफ से जिला प्रबंधक तथा केता .... की ओर से ..... के मध्य खरीफ विपणन वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 के दौरान कार्पोरेशन के .....जिलों (नाम) ....

.....में उपलब्ध मक्का के विक्रय हेतु अनुबंध निष्पादित हुआ। मक्का विक्रय हेतु निष्पादित अनुबंध का विवरण/शर्ते निम्नानुसार है :–

01. क्रेता/फर्म का नाम – .....

02. पता – .....

– .....

03. दूरभाष एंव मोबाइल नंबर – .....

04. ईमेल आई डी – .....

.....

05. जिलों के विभिन्न प्रदाय केन्द्रों का नाम व संग्रहित/उपलब्ध मक्का की मात्रा, स्वीकृत दर एंव राशि –

खाद्यान्न	अनुबंध मात्रा (प्रति मे टन में)	स्वीकृत दर (प्रति मे टन में)	राशि (रू. में)	रिमार्क
मक्का	44.95			
योग				

06. स्वीकृत दरो के अनुसार मक्का का कुल मूल्य रू. .....

07. विक्रय की गई मक्का पर देय अन्य कर की राशि .....

08. क्रेता से अनुबंध की मात्रा के विरूद्ध प्राप्ति योग्य कुल राशि रू. .....

09. क्रेता द्वारा निविदा के साथ जमा अमानत की राशि रू. .....

(अमानत राशि अंतिम उठाव के समय समायोजित की जावेगी)

प्रतिभागी के हस्ताक्षर व सील

10. अनुबंध के दौरान मुख्यालय/जिले में जमा की जाने वाली कुल राशि रू. .....

क्र.	आर.टी.जी.एस./डी.डी. /बैंकर्स चेक क्र.	दिनांक	बैंक का नाम	राशि रू. में
योग				

11. क्रेता से अनुबंध की मात्रा विरूद्ध प्राप्ति योग्य/आधिक्य जमा राशि रू. .....

12. स्कंध की पूर्ण डिलीवरी लेने की अंतिम तिथि अनुबंध दिनांक.....से दिनांक.....तक रहेगी।

13. स्कंध जहां है जैसा है के आधार पर विक्रय किया गया है। अतः क्वालिटी के बारे में कोई भी विवाद ग्राह्य नहीं किया जावेगा।

14. भुगतान, डिलीवरी एंव तौलाई आदि की शर्ते

(1) अनुबंधित मात्रा को इस सौदा पत्रक में दर्शित अंतिम दिनांक तक क्रेता को संबंधित जिले/ गोदामों **(जिस जिले/गोदाम के लिए निविदा स्वीकृत की गई है।)** में जमा पूरी मात्रा की डिलीवरी लेना होगा।

(2) डिलीवरी के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक स्कंध की डिलीवरी न लेने पर सौदा निरस्त किया जा सकेगा तथा क्रेता से प्राप्त अमानत की राशि एवं मक्का क्रय करने हेतु क्रेता से प्राप्त राशि निगम हित में राजसात की जा सकेगी।

(3) स्कंध की डिलीवरीं निविदा में दर्शाये गये जिले की गोदाम व स्थान से शत प्रतिशत धरमकांटा से (जहॉ पर तौल की जो व्यवस्था होगी) तौल कर शुद्ध वजन के आधार पर दी जायेगी। गोदाम में लगे स्टेकों से मक्का एक सिरे से दिया जावेगा, छांट कर नहीं।

(4) क्रेता को मक्का की डिलीवरी स्वयं के द्वारा हम्माली/अन्य भुगतान कर प्राप्त करना होगा, निगम द्वारा मक्का डिलीवरी के लिए कोई भी हम्माली/ अन्य खर्च वहन नहीं किया जावेगा।

(5) प्रदाय केन्द्र में भंडारित मक्का की डिलेव्हरी बारदाना सहित दी जावेगी। यदि मक्का डिलीवरी के दौरान बारदाने कटे–फटे पाये गये तो क्रेता को अतिरिक्त बारदाने की स्वयं व्यवस्था करना होगा। निगम के द्वारा अतिरिक्त बारदाने की व्यवस्था नहीं किया जावेगा। विशेष परिस्थिति में निगम द्वारा अतिरिक्त बारदानों उपलब्ध कराए जाने पर क्रेता को रूपए 55/- प्रतिनग की दर से राशि जमा करना होगा।

(6) गोदाम में जमा मक्का क्रेता द्वारा किये गये अनुबंध में दर्शित मात्रा से कम या अधिक हो सकती है। क्रेता को गोदाम में उपलब्ध मात्रा के अनुसार डिलीवरी लेना अनिवार्य होगा।

(7) डिलीवरी की अंतिम तिथि के बाद सौदे के अवधि बढ़ाने या न बढाने का अधिकार प्रबंध संचालक, छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय, रायपुर के पास सुरक्षित है। किन्तु यदि डिलीवरी हेतु अवधि बढ़ाई गई तो बढ़ाई गई अवधि हेतु अनुबंधित मात्रा में से उठाव किये जाने हेतु शेष बची मात्रा के लिए प्रचलित भंडारण शुल्क की दर पर क्रेता से वास्तविक भंडारण शुल्क एंव ब्याज की राशि जमा कराने के पश्चात अनुबंध में शेष बची मात्रा की डिलीवरी दी जावेगी।

(8) यदि अनुबंधकर्ता सौदा पत्रक/निविदा प्रपत्र में दी गई शर्तो के विरूद्ध कार्य करता है या समयावधि में मक्का की डिलीवरी प्राप्त नहीं करता है तो अनुबंध का पालन नहीं

प्रतिभागी के हस्ताक्षर व सील

करना माना जाकर निगम को क्रेता से हर्जाना एवं खर्चा वसूल करने का अधिकार होगा।

(9) क्रेता एतद द्वारा अनुबंध की उक्त शर्ते एवं आफर निविदा आमंत्रण नियम व शर्ते पूर्ण रूप से स्वीकार करता है एवं निम्न गवाहों के समक्ष अनुबंध का निष्पादन करता है। इससे सम्बन्धित सभी न्यायिक प्रकरण का क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय रायपुर होगा।

उपरोक्त कंडिका के अतिरिक्त निविदा के समस्त दस्तावेज/परिशिष्ट इस अनुबंध का अंग माना जावेगा।

जिला प्रबंधक
छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. लि.
जि.का.....

(संविदाकार)
क्रेता के हस्ताक्षर
(वह हैसियत, जिसमें वह हस्ताक्षर कर रहा है।)
.....
.....
.....

गवाह –
हस्ताक्षर .....
नाम व पता .....
Mobile/Teliphone No.

गवाह–
हस्ताक्षर .....
नाम व पता .....

प्रतिभागी के हस्ताक्षर व सील

परिशिष्ट – 07

तकनीकी बीड संबंधी घोषणा पत्र (अन्डरटेकिंग) नोटराईज्ड प्रति (100/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर)

मैं/हम छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में उपार्जित मक्का विक्रय हेतु ई–निविदा में, स्वेच्छा से भाग ले रहे हैं । मैं/हमने यह निविदा दस्तावेज वेबसाइट GeM (Government E-Marketplace) Portal पर प्रकाशित निविदा सूचना एवं दस्तावेजों को भली – भांति पढ़कर समझ लिया है और निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत जिलो/प्रदाय केन्द्रों पर भंडारित मक्का के क्रय हेतु ऑनलाईन निविदा दर प्रस्तुत कर रहे हैं। जिसका आदेशानुसार मात्रा का निर्धारित समय में उठाव करने हेतु पूर्णतः सहमत हूँ।

2. इस संबंध में हम तकनीकी अर्हताएं पूर्ण करने के प्रमाण में दस्तावेज पूर्ण सत्यता और निष्ठा के साथ स्वयं की जवाबदेही पर प्रस्तुत कर रहे हैं।

2.1 मैं/हम इस बात का पूर्ण सत्य निष्ठा के साथ प्रमाणन करते हैं/करता हूं कि हमारे द्वारा निर्धारित अमानत राशि ..... लाख R.T.G.S./आन लाईन ट्रांसफर/ट्रांसफर के द्वारा टेक्निकल बीड के साथ जमा कर रहा हूं ।

2.2 मैं/हमारे द्वारा तकनीकी बीड के लिये प्रस्तुत किये जा रहे दस्तावेज/सहपत्र के लिये संलग्न किये गये दस्तावेज/शपथ पत्र हमारे ज्ञान/संज्ञान के अनुसार समस्त दस्तावेज पूर्ण रूप से वैध व प्रमाणिक है । इनकी वैधता/सत्यता के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद के लिये मैं/हम पूर्ण रूप से जवाबदार होंगे। मैं/हमारे द्वारा प्रस्तुत फाईनेंसियल बीड स्वीकार होने पर हमारे द्वारा तकनीकी बीड में ऑन लाईन प्रस्तुत किये गये समस्त प्रमाण पत्र, दस्तावेज/शपथ पत्र की मूल प्रति/स्व प्रमाणित प्रति कार्पोरेशन द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करूंगा ।

2.3 मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि इस निविदा के अंतर्गत मक्का क्रय के लिए हमारे पास विधिसम्मत स्थिति अनुसार सभी अनुज्ञा पत्र/अनुमतियां वैध रूप से प्रचलित अवस्था में है ।

दिनांक .....

प्रतिभागी के हस्ताक्षर .....

नाम .....

कंपनी/फर्म का नाम .....

पूरा पता .....

हैसियत .....

मुहर/सील .....

प्रतिभागी के हस्ताक्षर व सील

परिशिष्ट – 08

फाईनेंशियल बीड संबंधी घोषणा पत्र (अन्डरटेकिंग) नोटराईज्ड प्रति (100/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर)

मैं/हम छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में उपार्जित मक्का विक्रय हेतु ई–निविदा में, स्वेच्छा से भाग ले रहे हैं। मक्का विक्रय हेतु प्रकाशित निविदा सूचना वेबसाइट GeM (Government E-Marketplace) Portal निविदा दस्तावेज, अनुबंध तथा इससे संबंधित समस्त नियमो एंव शर्तों, संलग्न परिशिष्ठों को पढ़कर तथा स्थितियों को स्पष्ट रूप से समझकर जहां है जैसा है के आधार क्रय करने हेतु प्रकाशित निविदा के तारतम्य में दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. मेरे/हमारे द्वारा निविदा दस्तावेज के नियमों एवं शर्तो, अनुबंध की शर्तों तथा इस बारे में समय–समय पर जारी निर्देशों के तहत् मक्का के क्रय हेतु मैं/हम पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं।

3. मैं/हम निविदा दस्तावेज की शर्तों के मुताबिक स्वीकृत/आफर की गई दरों की स्वीकृति दिनांक से एक सप्ताह में निविदा के निर्धारित नियमों एंव शर्तो अंतर्गत अनुबंध करने हेतु सहमत और प्रतिबद्ध हैं/हूँ और तदनुसार इस समय सीमा में अनुबंध कर मक्का क्रय कर निर्धारित समय सीमा में उठाव करूंगा/करेंगे।

4. मैं/हम इस निविदा प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में प्रतिभूति राशि प्रस्तुत कर अनुबंध नही करने अथवा उठाव नही करने पर कार्पोरेशन के पास प्रतिभागी की उपलब्ध अमानत राशि/अन्य उपलब्ध राशि जप्त कर ब्लेक लिस्टेड/प्रतिबंधित/अयोग्य किये जाने के प्रावधान से भिज्ञ हूँ ।

दिनांक .....

प्रतिभागी के हस्ताक्षर .....

नाम .....

कंपनी/फर्म का नाम .....

पूरा पता .....

हैसियत .....

मुहर/सील .....

प्रतिभागी के हस्ताक्षर व सील

परिशिष्ठ – 09

खरीफ विपणन वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में उपार्जित मक्का विक्रय के संबंध में तकनीकी बीड में प्रतिभागी द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे अनिवार्य दस्तावेजों/शपथ पत्र की चेकलिस्ट

मक्का विक्रय हेतु आमंत्रित ई निविदा – .....
दिनांक

प्रतिभागी का नाम एवं पूर्ण पता – .....

प्रतिभागी का स्वरूप प्रो /फर्म / – .....
कंपनी

क.	अनिवार्य दस्तावेज की प्रति	विवरण
1.	निर्धारित अमानत की राशि R.T.G.S./आनलाईन ट्रांसफर/ट्रांसफर के माध्यम से निगम के खाते में जमा कराने के प्रमाण के रूप में (यू.टी.आर नं. सहित) पावती स्केन कर अपलोड करना होगा ।	R.T.G.S./ आनलाईन ट्रांसफर/ट्रांसफर रसीद कमांक ..... दिनांक ..... बैंक का नाम ..... राशि .....
2.	वित्तीय वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 की आयकर विवरणी।	वित्तीय वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 की आयकर विवरणी की सत्यापित छायाप्रति।
3.	आयकर स्थायी खाता कमांक (पैन कार्ड) की छायाप्रति।	पेन कार्ड कमांक की छायाप्रति
4.	फर्म/कंपनी की स्थिति में पंजीयन प्रमाण पत्र। (स्वामित्व/प्रोपराइटर प्रतिभागी को पंजीयन आवश्यक नही है।)	पंजीयन कमांक ..... दिनांक .....
5.	फर्म/कंपनी की ओर से निविदा मे हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/मुख्यतारनामा (सत्यापित)	अधिकृत व्यक्ति का नाम .....
6.	तकनीकी बीड संबंधी घोषणा पत्र **परिशिष्ट –07** अनुसार नोटरी से प्रमाणित (100/–के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)	
7.	फाईनेशियल बीड संबंधी घोषणा पत्र **परिशिष्ट –08** के अनुसार नोटरी से प्रमाणित (100/–के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)	

प्रतिभागी के हस्ताक्षर व सील

8.	निविदा दस्तावेज की प्रति जिसमें समस्त पृष्ठों पर प्रतिभागी के स्व–प्रमाणित हस्ताक्षर एवं सील सहित	
9.	जमा की गई अमानत राशि का विवरण पत्रक **परिशिष्ट – 05** के अनुसार मक्का (जहां के लिए निविदा प्रस्तुत की गई है।	

अनिवार्य दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ को स्व–प्रमाणित कर स्केन कर चेक लिस्ट में दर्शाये कमानुसार ऑन लाईन तकनीकी बीड में अपलोड कर प्रस्तुत है।

दिनांक .....

संलग्नः– उपरोक्तानुसार सहपत्र।

हस्ताक्षर व सील .....

प्रतिभागी का नाम व पता .....

मोबाइल नम्बर .....

प्रतिभागी के हस्ताक्षर व सील

परिशिष्ट– 10

PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT

1. GENERAL

1.1 This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made on .....day of the month.....20....., between, the Government of Chhattisgarh acting through Shri.....(Designation of the officer, Department) Government of Chhattisgarh (here in after called the "BUYER", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and the First Party, proposes to procure (name of the Stores/Equipment/Work/Service) and M/s.....represented by Shri .....Chief Executive Officer(hereinafter called the "BIDDER/Seller." which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors an permitted assigns) and the Second Party, is willing to offer/has offered.

1.2 WHEREAS the BIDDER is a Private Company/Public Company/Government Undertaking/Partnership/Registered Export Agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER is a Ministry/Department of the Government, performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER and the BIDDER agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to :-

2.1 Enabling the BUYER to obtain the desired Stores/Equipment/Work/Service at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and

2.2 Enabling BIDDERs to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER will commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparent procedures.

3. COMMITMENTS OF THE BUYER

The BUYER commits itself to the following :-

3.1 The BUYER undertakes that no official of the BUYER, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

3.2 The BUYER will, during the pre-contract stage, treat BIDDERs alike, and will provide to all BIDDERs the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER which could afford an advantage to that particular BIDDER in comparison to the other BIDDERs.

3.3 All the officials of the BUYER will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.
In case any such preceding misconduct on the part of such official (s) is reported by the BIDDER to the BUYER with the full and verifiable facts and the same *prima facie* found to be correct by the BUYER, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER and such a person shall be debarred from further dealings related to the contract process. In such a case while an enquiry is being conducted by the BUYER the proceedings under the contract would not be stalled.

4. COMMITMENTS OF BIDDERS

The BIDDER commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means an illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following :-

4.1 The BIDDER will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER, connected directly or indirectly with the biding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.2 The BIDDER further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER or otherwise in procuring the Contract of forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour of disfavour to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.

4.3 The BIDDER, further confirms and declares to the BUYER that the BIDDER in the original Manufacture/Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

4.4 The BIDDER, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.

4.5 The BIDDER will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.6 The BIDDER will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.

4.7 The BIDDER shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the BUYER as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The BIDDER also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.

4.8 The BIDDER commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.

4.9 The BIDDER shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

5. PREVIOUS TRANSGRESSION

5.1 The BIDDER declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could Justify BIDDER,s exclusion from the tender process.

5.2 If the BIDDER makes incorrect statement on this subject, BIDDER can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6. EARNEST MONEY (SECURITY DEPOSIT)

6.1 Every BIDDER while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP as Earnest Money/Security Deposit, with the BUYER through any of the following instruments:

(i) Bank Draft or a Pay Order in favour of .....

(ii) A confirmed guarantee by an India Nationalised Bank, promising payment of the guaranteed sum to the .....(BUYER)..... on demand within three working days without any demur whatsoever and without seeking any reasons whatsoever. The demand for payment by the BUYER shall be treated as conclusive proof of payment.

(iii) Any other mode or through any other instrument (to be specified in the RFP).

6.2 The Earnest Money/Security Deposit shall be valid upto a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER and BUYER, including warranty period, whichever is later.

6.3 In the case of successful BIDDER a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contract that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture of performance Bond in case of a decision by the BUYER to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.

6.4 No interest shall be payable by the BUYER to the BIDDER on Earnest Money/Security Deposit for the period of its currency.

7. SANCTIONS FOR VIOLATIONS

7.1 Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER) shall entitle the BUYER to take all or any one of the following actions, wherever required :-

(i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER. However, the proceedings with the other BIDDER(s) would continue. .....

(ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER and the BUYER shall not be required to assign any reason therefore.

(iii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the BIDDER.

(iv) To recover all sums already paid by the BUYER, and in case of the Indian BIDDER with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate while in case of a BIDDER from a country other than India with Interest there on at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER from the BUYER in connection with any other contract such outstanding payment could also utilized to recover the aforesaid sum and interest.

(v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished by the BIDDER, in order to payment, already made by the BUYER, along with interest.

(vi) To cancel all or any other contract with the BIDDER and the BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER resulting from such cancellation/rescission and the BUYER shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER.

(vii) To debar the BIDDER from participating in future bidding processes of the Government of Chhattisgarh for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER(s) to any middlemen or agent or broker with a view to securing the contract.

(xi) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER with the BIDDER, the same shall not be opened.

(x) If the BIDDER or any employee of the BIDDER or any person acting behalf of the BIDDER, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER has financial interest/stake in the BIDDER's firm, the same shall be disclosed by the BIDDER at the time of filling of tender, Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER to rescind the contract without payment of any compensation to the BIDDER.

The term 'close relative' for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependant upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related,
whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependant upon Government servant.

(xi) The BIDDER shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER, and if he does so, the BUYER shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER. The BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to
the BUYER resulting from such rescission and the BUYER shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER.

7.2 The decision of the BUYER to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER shall be final and conclusive on the BIDDER. However, the BIDDER can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

8. FALL CLAUSE

8.1 The BIDDER undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would be refunded by the BIDDER to the BUYER, if the contract has already been concluded.

9. FACILITION OF INVESTIGATION

In case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER and the BIDDER shall provide necessary information to the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination.

10. LAW AND PLACE OF JURISDICTION

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER.

11. OTHER LEGAL ACTION

This actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

प्रतिभागी के हस्ताक्षर व सील

12. VALIDITY

12.1 The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER and the BIDDER/Seller whichever is later. In case BIDDER is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.

12.2 If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; the remainder of this Pact shall remain valid. In such case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

13. The parties hereby sign this Integrity Pact at.....on .....

BUYER	**BIDDER**
Name of the Officer	**CHIEF EXECUTTIVE OFFICER**
Designation	
Department/PSU	
Witness	**Witness**
1.....	.....
.....	.....
.....	.....
2.....	.....
.....	.....
.....	.....

प्रतिभागी के हस्ताक्षर व सील